

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4(ई)(वी-474/94)अलेसे-III/2395-2400

दिनांक:- 15.4.13.

कार्यालय आदेश

श्री विजय कुमार सोनी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि. वि.गुण नियंत्रण खण्ड-बाड़मेर का दिनांक 22.03.2013 को (केरल राज्य) में स्वर्गवास हो जाने के कारण इन्हे दिनांक 22.03.2013 से कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग से पृथक किया जाता है।

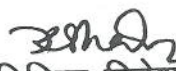
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सोनी, कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।


निदेशक

क्रमांक एफ 4(ई)(वी-474/94)अलेसे-III/2395-2400 दिनांक:- 15.4.13.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि.गुण नियंत्रण खण्ड-बाड़मेर को उनके पत्र क्रमांक 341 दिनांक 28.03.2013 के क्रम में भेजकर लेख है कि स्व. श्री विजय कुमार सोनी की पत्नी अथवा अन्य आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति लेने हेतु इच्छुक हो तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त कर निर्धारित बिन्दुओं की पूर्ति सहित इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- 2 निजी सहायक निदेशक महोदया।
- 3 डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट।
- 4 निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)